संख्या : 988 औ.वि.वि./77-6-07/09

प्रेषक,

वी0के0 शर्मा
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।
प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0 शासन।
प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 दिनांक : 3 जून, 2009

औद्योगिक विकास विभाग के शासनादेश संख्या-2761/77-6-10(एम)/05/2005, दिनांक 25 जनवरी, 2006 से प्रदेश में उद्योगो के विकास हेतु पूर्व में गठित वर्किंग ग्रुप के पुर्नगठन एवं नये वर्किंग ग्रुप के गठन की व्यवस्था की गयी थी। इस शासनादेश के माध्यम से प्रदेश में टेक्सटाइल एवं पॉवरलूम वर्किंग ग्रुप, ड्रग्स एवं फार्मासुटिकल वर्किंग ग्रुप, जैव प्रौद्योगिकी वर्किंग ग्रुप तथा ऑटो-मोबाईल वर्किंग ग्रुप का गठन भी किया गया था। शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि इन चार वर्किंग ग्रुप के विषय क्षेत्र इतने वृहृद नही है कि इनके लिए अलग से विशिष्ट वर्किंग ग्रुप का गठन कराया जाए। इन विषयों से संबन्धित विभाग अपने स्तर पर निवेश प्रोत्साहन हेतु कार्यवाही कर सकते है। इन सेक्टर के निवेशको की जो सामान्य औद्योगिक समस्यायें होगी (यथा-विद्युत, कर एवं निबंधन, अवस्थापना, श्रम तथा पर्यावरण से संबन्धित) उनको तत्संबंधी वर्किंग ग्रुप यथा-विद्युत वर्किंग ग्रुप, व्यापार कर वर्किंग ग्रुप, अवस्थापना वर्किंग ग्रुप, श्रम वर्किंग ग्रुप, पर्यावरण वर्किंग ग्रुप, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का वर्किंग ग्रुप, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगो का वर्किंग ग्रुप वित्तीय संस्थान/बैंकों के वर्किंग ग्रुप में संबंधित विषयों पर चर्चा

तथा समस्याओं को निराकरण कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है कि टेक्सटाइल एवं पावर लूम वर्किंग ग्रुप, ड्रग्स एवं फर्मास्यूटिकल वर्किंग ग्रुप, जैव प्रौद्योगिकी वर्किंग ग्रुप तथा ऑटो-मोबाईल वर्किंग ग्रुप के गठन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस शासनादेश के द्वारा यह चार वर्किंग ग्रुप तत्कालीन प्रभाव से समाप्त किए जाते हैं।

औद्योगिक विकास विभाग का उपरोक्त शासनादेश सं 2761 दिनांक 25 जनवरी 2006 उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है शासनादेश के शेष प्राविधान यथावत् रहेंगे।

उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

वी० के० शर्मा
अवस्थापना एवम्
औद्योगिकी विकास आयुक्त

संख्या-एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव,/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. उपरोक्त संबन्धित वर्किंग ग्रुप के मा0 सदस्यगण।
3. उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/निगमों के प्रबंध निदेशक/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
4. उद्योग विभाग के समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी, उ0प्र0 शासन।
5. सूचना निदेशक, उ0प्र0।
6. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।

आज्ञा से,

कैप्टन एस0के0 द्विवेदी
विशेष सचिव।